

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

सेवा में,

महालेखाकार (ले०ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 23/09/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 हेतु राजकीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि ₹30,75,000/- (तीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र के सामंजन की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार, 2023 के लिए कुल 20 (बीस) शिक्षक/शिक्षिकाओं को ₹15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) प्रति शिक्षक की दर से पुरस्कार स्वरूप कुल ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र का भुगतान राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के खाते से किया गया है (विवरणी अनुलग्नक-1)।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार, 2024 के लिए कुल 41 (इकतालीस) शिक्षक/शिक्षिकाओं को ₹15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) प्रति शिक्षक की दर से पुरस्कार स्वरूप कुल ₹6,15,000/- (छः लाख पंद्रह हजार रुपये) मात्र का भुगतान राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के खाते से किया गया है (विवरणी अनुलग्नक-2 क्र०सं०-01 से 41)। साथ ही राजकीय (विशिष्ट) शिक्षक पुरस्कार, 2024 के लिए 01 (एक) शिक्षक को ₹30,000/- (तीस हजार रुपये) प्रति शिक्षक की दर से पुरस्कार स्वरूप कुल ₹30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र का भुगतान राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के खाते से किया गया है (विवरणी अनुलग्नक-2 क्र०सं०-42)।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार, 2025 के लिए कुल 71 (इकहत्तर) शिक्षक/शिक्षिकाओं को ₹30,000/- (तीस हजार रुपये) प्रति शिक्षक की दर से पुरस्कार स्वरूप कुल ₹21,30,000/- (इक्कीस लाख तीस हजार रुपये) मात्र का भुगतान राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के खाते से किया गया है (विवरणी अनुलग्नक-3)। अंकनीय है कि विभागीय संकल्प सं०-861 दिनांक-28.08.2025 द्वारा राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि ₹15,000/- को बढ़ाकर ₹30,000/- (तीस हजार रुपये) किया गया है।

4. अंकनीय है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 384 दिनांक 16.03.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 हेतु राजकीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹30,75,000/- (तीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र के सामंजन की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी गई थी। कतिपय कारणों से उक्त राशि ₹30,75,000/- की निकासी नहीं की जा सकी है

(अनुलग्नक-4)।

5. अतः उपलब्ध बजटीय उपबंध के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार-2023, 2024 एवं 2025 से पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिकाओं के पुरस्कार के लिए क्रमशः ₹3,00,000/-, ₹6,15,000/-, ₹21,30,000/- एवं राजकीय (विशिष्ट) शिक्षक पुरस्कार, 2024 के लिए ₹30,000/- अर्थात् कुल ₹30,75,000/- (तीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र के सामंजन की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।
6. उक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग शीर्ष-21, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0001 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, विपत्र कोड-21-2202010010001 के विषय शीर्ष-0001.05.01 पुरस्कार मद में उपबंधित राशि से होगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से ₹30,75,000/- (तीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र के अतिरिक्त राशि का उपबन्ध किया गया है।
8. संपूर्ण राशि की निकासी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के खाता-NIDESHAK (PR.EDU) SAH SACHIV KOSHADHAYAKSH RAS SHI KAL PR, खाता संख्या-10839123708, IFS Code-SBIN0000153, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत राशि से संबंधित पुरस्कृत शिक्षकों को पूर्व में दिनांक-05.09.2023, दिनांक-05.09.2024 एवं दिनांक-05.09.2025 को वितरित राशि, जो राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के खाते से लिये गये अग्रिम राशि से की गई थी, को सामंजित किया जायेगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित-प्रपत्र में तैयार कर निर्धारित अवधि में महालेखाकार को समर्पित करेंगे।
9. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के स्थायी आदेश सं०-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों/अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।
10. इस आशय की सूचना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को दी जा चुकी है।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-7355/वि०(2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त पर सं० संख्या-08/शि०पु०-14-02/2025 के पृष्ठ-50/टि० पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं० संख्या-08/शि०पु०-14-02/2025 के पृष्ठ-56-57/टि० पर प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोपरि।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(ललन कुमार मंडल)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-08/शि०पु०-14-02/2025

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-08/शि०पु०-14-02/2025 118

पटना, दिनांक 23/09/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (व्यय शाखा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05 (बजट शाखा)/लेखा शाखा (दो प्रतियाँ में), शिक्षा विभाग/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग/ए०सी०/डी०सी० कोषांग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22/09/26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।